अपील सूचना अधिकार संख्या 12/2016 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
12/2016

11–04–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2015 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से चाही गई 5 बिन्दुओ की सूचना उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2015 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. बिन्दु संख्या एकः प्रार्थी का पत्रांक 5423 दिनांक 26.11.2015 आपके कार्यालय में पहुचंने की दिनांक व पत्र प्राप्ति की दिनांक व आर/आर नम्बर की सूचना।
2. पत्र पर मार्किंग करने वाले अधिकारी व कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
4. पत्र प्राप्ति से इस आवेदन का जवाब देने तक जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा पत्र पर कार्यवाही की गई उसका नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की सूचना व समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव के प्रारम्भ होने के दौरान चुनाव ड्यूटी का निष्पादन करने वाले कर्मकार व अधिकारी द्वारा मुख्यालय छोडने हेतु बाहर किसी व्यक्तिगत कार्य हेतु जाना पड़े तो वह अनुमति जिस निर्वाचन अधिकारी माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी से लेगा, इसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 129 दिनांक 29.01.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 57–58 दिनांक 11.01.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 57–58 दिनांक 11.01.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
12/2016

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबध मे लेख है कि:–

बिन्दु संख्या 1 से 5 के तहत चाही गई सूचना के सबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर ढूंढकर नये प्रारूप मे चाहने की श्रेणी मे आती हैं। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एंव खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है। यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर के अवलोकन से पाया गया कि उनके द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का बिन्दुवार स्पष्ट रूप से निस्तारण नही किया गया है। अपीलार्थी ने भी अपनी बहस में बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करवाये जाने का अनुरोध किया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 5 बिन्दुओ की सूचना में से जो सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध है वह नियमानुसार अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति से 7 दिन के भीतर उपलब्ध करवाई जावे। अगर कोई सूचना देय नही बनती है तो बिन्दुवार कारण अंकित करते हुए निस्तारण किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर